

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

खण्डवा, दिनांक 23/02/2018

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आंवलिया मध्यम सिंचाई योजना में डूब प्रभावित 54.60 हेक्टेयर वन भूमि के बदले गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन संरक्षक सामान्य वनमण्डल खण्डवा द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2018/538 दिनांक 12.02.2018 से प्रस्तुत की है। म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंसियल पावर 1995 के वाल्यूम-11 के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार गैर वनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-

अ.क	स्थल	रकबा (हेक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय										योग
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	
1	ग्राम सुरगांव निपानी तहसील खण्डवा के खसरा क्रमांक 37.49.215	54.600	7800219	3916837	1218115	843927	369810	394464	419118	443772	468426	493080	16367768
आस्थाभूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत													818388
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत													163678
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत													654711
योग राशि :-													1636777
महायोग :-													18004545
प्रति हेक्टेयर व्यय													329754

(मनोज कुमार अग्रवाल)
मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 23/02/2018

पृ.क./व्यय/2017/ 2324

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वन संरक्षक वनमण्डल सामान्य खण्डवा की ओर आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2018/538 दिनांक 02.02.2018 संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्राक्कलन की एक प्रति।

म.प्र. ग्वालियर

वन संरक्षक
23/2-2018

मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

16/2/2018

16.2.18